ग्राम पंचायत देवगड़गोही, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग–एक

1 प्रस्तावनाः–

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण दायित्व, निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत देवगड़गोही विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि में ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत्त थेः–

(i) प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती वृन्दा देवी	1.4.14 से 21.1.16
2	श्री पूरन चन्द	22.1.16 से अद्यतन

(ii) सचिवः–

1	श्री भगत राम	1.4.14 से 21.4.16
2	श्री केहर सिंह	22.4.16 से 20.9.16
3	श्रीमती तारा देवी	21.9.16 से अद्यतन

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत देवगड़गोही के लेखाओं अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का रख रखाव नियमानुसार न करना	–
2	8	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.42

3	9	अनुदान राशि का अवरोधन	10.57
4	10	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना क्रय	4.18
5	13	सोलर लाईटों की खरीद पर वारंटी कार्ड/रख रखाव अनुबन्ध न करना	2.81

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत देवगड़गोही, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण विकास धवन, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 8.8.17 से 18.8.17 तक पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय व व्यय के लिए क्रमशः 2/15, 3/16, 3/17 व 4/14, 10/15, 3/17 मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत देवगड़गोही, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD(211)/2017-82 दिनांक 17.8.17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत देवगड़गोही से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत देवगड़गोही द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(i) स्वः स्त्रोत व अनुदानः– ग्राम पंचायत देवगड़गोही द्वारा प्रस्तुत अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक स्वः स्त्रोत व अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण बैंक खातों के अनुसार **(परिशिष्ट–1 क से ग)** निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014–15	1069755	1170641	37654	2278050	1352854	925196
2015–16	925196	2681987	44977	3652160	1829630	1822530
2016–17	1822530	3159388	83473	5065391	3041569	2023822

4.1 रोकड़ बही का रख रखाव नियमानुसार न करनाः–

ग्राम पंचायत देवगड़गोही की रोकड़ बहियों के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम–7 व 10 (1) के अनुसार नहीं किया गया है। नियम 7 व 10 (1) के अनुसार रोकड़ बही में अन्तिम शेष की गणना तथा प्रत्येक वर्ष के अन्त में बैंक खातों में जमा शेष राशियों का विवरण रोकड़ बही में दिया जाना अपेक्षित था तथा रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। रोकड़ बहियों में प्रत्येक वर्ष अथशेष/अन्तिम शेष की गणना न करना तथा बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होंने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये अंकेक्षण अवधि की रोकड़ बहियों का रख–रखाव नियम 7 व 10 (1) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा बैंक खातों में मिलान करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

5 प्राप्त आय को लम्बी अवधि के बाद रोकड़ बही व बैंक में जमा करवाने बारेः–

पंचायत की रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा प्राप्त राजस्व की राशि को एक लम्बी अवधि के पश्चात रोकड़ बही में दर्ज करके बैंक में जमा करवाया गया था जो (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार प्राप्त आय को रोकड़ बही में दर्ज करके बैंक में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रसीद सं0		दिनांक	प्राप्त आय (₹)	रोकड़ बही में दर्ज करने की तिथि	बैंककक में राशि जमा करने की तिथि
1	081105 081200	से	17.2.16	14400	31.3.16	31.3.16
2	081101 081104	से	17.2.16	1650	31.3.16	31.3.16
3	258901 258953	से	12.2.16	7950	31.3.16	31.3.16
4	081012 081062	से	दर्ज नहीं	7650	31.3.16	31.3.16
5	258954 259000	से	दर्ज नहीं	7990	31.3.16	31.3.16

6 प्राप्त आय से नगद भुगतान करने बारेः–

हिमाचल पंचायत पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (2) के अनुसार पंचायत की समस्त आय को बैंक में जमा किया जाना चाहिए तथा उसके पश्चात ही व्ययों का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। रोकड़ बही की जाँच मे ंपाया गया कि निम्न प्रकरणों मे ंपंचायत द्वारा प्राप्त आय को बैंक में जमा करवाए बिना व्ययों का भुगतान किया गया जो नियमानुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः भविष्य में नियमानुसार समस्त प्राप्त आय को बैंक में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रोकड़ बही पृ0सं0	दिनांक	वा0स0	राशि (₹)
1	223	25.3.15	32	4250
2	240	30.3.16	29	2890

7 बजट प्राक्कलन फार्म–11 में तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा 2014–15 व 2015–16 अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन

तैयार नहीं किया गया था तथा 2016–17 का बजट प्राक्कलन फार्म–11 में तैयार न करके सामान्य तौर पर कार्यवाही रजिस्टर में बनाया गया था। अतः पंचायत द्वारा बजट प्राक्कलन नियमानुसार न बनाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

8 पंचायत राजस्व ₹0.42 लाख वसूली हेतु शेषः–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2017 तक पंचायत की राजस्व ₹41525 की वसूली शेष थी **(परिशिष्ट–3)**

(i) गृहकर

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2014–15	38275	13350	51625	–	51625
2015–16	51625	13350	64975	39300	25675
2016–17	25675	13350	39025	–	39025

(i) मोबाईल टावर

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2014–15	–	5000	5000	2500	2500
2015–16	2500	5000	7500	5000	2500
2016–17	2500	5000	7500	5000	2500

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

8.1 गृहकर मांग व वसूली रजिस्टर को पूर्ण न करनाः–

अंकेक्षण अवधि के लेखों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा गृहकर मांग व वसूली रजिस्टर को दिनांक 31.3.2017 तक पूर्ण नहीं किया गया था। अतः गृहकर मांग व वसूली रजिस्टर में प्रत्येक करदाता की बकाया राशि की प्रविष्टियाँ पूर्ण करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 अनुदान ₹10.57 लाख का उपयोग न करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–4)** के अनुसार दिनांक 31.3.17 को ₹1057108 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था। अतः अनुदानों की राशि को

विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान की राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹4.18 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रयः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएँ प्रावधित है। व्यय वाऊचरों की जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट "5"** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹418223 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचाकिताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया है व कुटेशनों को केवल औपचारिकता के लिए वाउचरों के साथ लगाया गया है जबकि कुटेशनों को आमन्त्रित करने व स्वीकृत करने सम्बन्धी औपचाकिताओं को पूर्ण नहीं किया गया है। स्टॉक/स्टोर का क्रय उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदें जाँच हेतु उपलब्ध न होनाः–

ग्राम पंचायत देवगड़गोही में अंकेक्षण अवधि के बिल वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार भुगतानों के वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदें (APR) प्राप्त नहीं की गई थी। अतः वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदें प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	अनुदान	रोकड़ बही पृ0सं0	फर्म	राशि
1	VKVNY	271/21.3.17	मै0 श्याम लाल शर्मा एण्ड सन्स	14770
2	IWMP	015/20.3.17	मै0 के0आर0एन0 ईन्टरप्राईजिज	25200
3	IWMP	016/20.3.17	मै0 श्याम लाल शर्मा एण्ड सन्स	21100
4	IWMP	016/20.3.17	मै0 द्वारिका गौतम	18310
5	13^{th} F.C.	252/24.12.16	डी0पी0ओ0 कुल्लू	178357

12 क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ दर्ज न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा क्रय प्रत्येक वस्तु को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज

करना अपेक्षित है। अंकेक्षण अवधि में जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न क्रय सामानों की स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई थी। अतः क्रय सामानों की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करने के कारण स्पष्ट करते हुए निम्न सामानों की क्रय प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	अनुदान	बिल सं0	फर्म का नाम	वस्तुका नाम	राशि
1	LADA	0270/6.10.15	M/S Shyam Thakur Thalaut	Steel	10500
2	LADA	0271/6.10.15	-do-	Steel	10279
3	14th FC	226/24.2.17	M/S Him Power India, Sunder Nagar	Solar Lights	281200
4	14th FC	332/Nil	M/S Suresh Kumar & Sons, Sainj	Furniture	12700

13 सोलर लाईटों ₹2.81 लाख की खरीद पर वांरटी कार्ड/रख रखाव अनुबन्ध न करने बारेः–

अंकेक्षण अवधि के व्यय वाउचरों की जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिल संख्या 226, दिनांक 24.2.17 द्वारा मै0 हिम पावर इन्डिया सुन्दर नगर से 19 सोलर लाईटें ₹14800 की दर से क्रय की गई जिसमें सोलर पेनल पर 25 वर्ष की गारंटी व बैटरी पर 6 वर्ष की गारंटी फर्म द्वारा अपनी निविदा में दी थी, जबकि कम दर वाली कम्पनी मै0 शर्मा ऐसासिऐट सुन्दरनगर द्वारा सोलर लाईट की कीमत ₹12800 प्रति लाईट थी, को पंचायत द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि उसमें सोलर पेनल पर गारंटी की अवधि दर्ज नहीं की थी तथा बैटरी पर केवल 5 वर्ष की गारंटी थी। अतः पंचायत द्वारा अधिक कीमत पर मै0 हिम पावर ईन्डिया से ₹281200 की सोलर लाईटों का क्रय कर लिया परन्तु न तो मै0 हिम पावर इन्डिया से सोलर लाईटों का गारंटी कार्ड प्राप्त किए व न ही रख रखाव के लिए कोई अनुबन्ध किया। अतः फर्म से गारंटी कार्ड/अनुबन्ध न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए इन्हें प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए क्योंकि गारंटी की अवधि 25 वर्ष होने के कारण भविष्य में सोलर लाईटों के खराब उपकरणों को बदलने के लिए पंचायत को कोई आर्थिक हानि न हो तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 जे0सी0बी द्वारा कार्य करवाने पर ₹0.90 लाख के भुगतान बारेः–

ग्राम पंचायत की लाडा की रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 05 दिनांक 24.10.15 के तहत मै0 बलदेव ठाकुर को बिल संख्या 002 दिनांक 24.10.15 को निर्माण सड़क खडौना से

शिकारी बाया धाराबीड के निर्माण में 112.5 घंटे जे0सी0बी0 का प्रयोग करने पर ₹800 प्रतिघन्टें की दर से ₹90000 का भुगतान किया गया जिसमें निम्न अनियमितताएं पाई गई।

1 जे0सी0बी0 के प्रतिदिन कार्य अवधि का विवरण नहीं बनाया गया व न ही किसी तकनीकी अधिकारी द्वारा बिल को सत्यापित किया गया है।

2 कार्य को माप पुस्तिका में दर्ज नहीं किया गया है।

अतः उक्त व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

15 उपस्थिति विवरणी (सत्यापना सहित) मस्ट्रोल के बिना सिलाई अध्यापिका को भुगतान बारेः–

अंकेक्षण अवधि के वाउचर संख्या 16 माह 10/15 की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा सिलाई अध्यापिका को ₹5400 का भुगतान किया गया, परन्तु भुगतान वाउचर के साथ सत्यापित उपस्थिति विवरणी/मस्ट्रोल संलग्न नहीं था। सत्यापित उपस्थिति विवरणी के बिना किया गया भुगतान अनियमित है। अतः अवधि 1.7.15 से 30.9.15 की उपस्थिति विवरणी को सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाकर आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

16 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr.No.	Name of Register
1	Work Register
2	T.A. Check Register F-20
3	Cheque issue/Receipt Register
4	Bill Register F-13
5	Temporary Advance Register

17 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया

जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है। जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई।

19 **निष्कर्षः–** पंचायत के अभिलेखों में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकनसंख्याः–फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(3)15/2017–खण्ड–1–673–676दिनाँक24.01.18
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुल्लू जिला कुल्लू, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत देवगड़गोही, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620046